न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर ग्रामीण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
	ओमाराम व अन्य बनाम बालूराम अपील संख्या– अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007	
15.07.24	पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत अपील अ.धा. 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2022 जो अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, ओसियां) द्वारा प्रकरण संख्या 01/2022 में पारित किया गया, के पेश हुई। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (2007 की सं. 56) की धारा 16(1) में Any Senior Citizen or a parent, as the case may be. Aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the appellate Tribunal; स्पष्ट किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक की श्रेणी में नही हे तथा अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी/अप्रार्थी के पुत्र है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत अपील ग्राह्य योग्य नही होने से निरस्त की जाती है। (गौरव अग्रवाल) अपील अधिकरण जिला कलक्टर (मजिस्ट्रेट), जोधपुर ग्रामीण अपील अधिकरण जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)	